



Neutral Citation No. -2026: AHC:129023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 20123/2026

गजेन्द्र सिंह @ भोला

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: गौरव श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री गौरव श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या-250/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 335 अंतर्गत, थाना-सदर बाजार, जनपद-आगरा में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, पृष्ठ संख्या 15 से संलग्न है, तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ वाद दर्ज किया गया है, आवेदक, अर्थात्, गजेन्द्र सिंह @ भोला भी सम्मिलित है। यह आरोप है कि 29.04.2026 को, वादी के परिचित ब्रोकर रवि कुशवाहा, ने वादी के पुत्र सत्यपाल सिंह, से संपर्क कर उसे सूचित किया कि तीन व्यक्ति उस भूमि को जिसका खसरा संख्या 1088 है, जो वादी के पिता एवं चाचा की थी, को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यह आरोप लगाया गया कि उक्त व्यक्तियों ने फर्जी आधार कार्ड तैयार किए थे तथा, उन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि का विक्रय करने का प्रयास कर रहे थे। प्रातः लगभग 08:00 बजे, उन व्यक्तियों को बुलाया गया तथा उन्होंने उक्त भूमि का मूल्य प्रति बीघा ₹4 करोड़ की माँग की। ₹30 लाख टोकन राशि तत्काल दिए जाने तथा शेष धनराशि अठारह माह के भीतर अदा किए जाने की बात कही गई। जब उनसे भूमि से संबंधित अभिलेख मांगे गए, तो उन्होंने तथाकथित जाली दस्तावेज, जिनमें आधार कार्ड भी सम्मिलित थे, प्रस्तुत किए तथा, इस पर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया तथा उन्हें संबंधित पुलिस थाने ले जाया गया।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक एवं सह-अभियुक्तों को कई घंटों तक अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया और उसके बाद, जैसा कि एफ.आई.आर. में वर्णित है, उन्हें अभिरक्षा में लिया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उसके साथ मारपीट की गई तथा उसे चोटें आईं, जिसका प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से मिलता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान आवेदन के पृष्ठ संख्या 43 पर संलग्न वादी के कथन में यह उल्लेखित है कि 29.04.2026



को रात्रि लगभग 08:00 बजे आवेदक एवं सह-अभियुक्तों को कथित जाली दस्तावेजों सहित वादी पक्ष द्वारा पकड़ लिया गया था तथा तत्पश्चात 30.04.2026 को उन्हें संबंधित पुलिस थाने ले जाया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आरोपों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 का कोई अपराध स्थापित नहीं होता है। आवेदक 30.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध किया।

6. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, संभावित दण्ड की गंभीरता, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया मामला स्थापित कर दिया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आदेशित किया जाता है कि आवेदक- **गजेन्द्र सिंह @ भोला**, जो उपर्युक्त वाद अपराध में अभियुक्त है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो समान धनराशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अपराध को न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके लिए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञा-पत्र दाखिल करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह अनुपस्थित रहता है, बिना किसी पर्याप्त कारण के, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (समतुल्य धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (समतुल्य धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और वह उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो, विचारण



न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (समतुल्य धारा 209 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद का आरंभ, (2) आरोप का गठन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानेगा तथा विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

24 जून, 2026

मनोज

(तेज प्रताप तिवारी, न्यायमूर्ति)